

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/6782

जबलपुर, दिनांक 9 / 11 / 21

श्री अर्जुन सोनी, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 30.08.2021 से 08.09.2021 तक 10 दिन कार्यालय में अनाधिकृत रूप से अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहने के कारण उक्त अवधि को अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में पुनः अनाधिकृत रूप से कार्यालय में अनुपस्थित न रहें अन्यथा आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

सही / -
(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक B/6783 /

जबलपुर, दिनांक 9 / 11 / 21

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. सहायक सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. श्री अर्जुन सोनी, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)